DoIT.C
Department of Information Technology & Communication, Rajasthan

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक : F5(842)/DoIT/Tech/14/II/05269/2023 दिनांक : 13/12/2023

कार्यालयाध्यक्ष
समस्त विभाग,
राजस्थान सरकार

विषयः– राजकाज एप्लीकेशन (अवकाश मॉड्यूल) में लम्बित अवकाश पर कार्यवाही कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024 के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त राजकाज एप्लीकेशन के लीव मॉड्यूल के उपयोगकर्ता विभागों के कार्मिको के अवकाश खाते में **आकस्मिक/उपार्जित/ऐच्छिक अवकाश क्रेडिट** किये जाने है। इसके लिए राजकाज एप्लीकेशन के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2023 को डे–एन्ड के समय स्वचालित प्रक्रिया के तहत अवकाश क्रेडिट करने के उद्वेश्य से सिस्टम द्वारा Scheduler चलाया जायेगा, जिससे नवीन वर्षारम्भ से पूर्व राजकाज 'अवकाश मॉड्यूल' के समस्त उपयोगकर्ताओ के खाते में नियमानुसार देय अवकाश अपडेट हो सके।

उक्त प्रक्रिया में Scheduler किसी भी कार्मिक के खाते में नया अवकाश अपडेट करने से पूर्व यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित कार्मिक के खाते में किसी भी प्रकार के गत आवेदित अवकाश पर अनुशंसा/स्वीकृति अधिकारी के स्तर से कोई Action (अर्थात् Approve/Reject/Recommendation) लम्बित तो नही है। अवकाश पर Action लम्बित (Pending) रहने की स्थिति में सिस्टम उस कार्मिक का अवकाश खाता अपडेट (क्रेडिट) नही करता, जिसके कारण आगामी वर्ष में संबंधित कार्मिक को अवकाश के लिए आवेदन करते समय समस्या का सामना करना पडता है एवम् संस्थापन शाखा को बाद में इसके लिए मैन्युअली अवकाश क्रेडिट का कार्य करना पड़ता है तथा संस्थापन शाखा का अनावश्यक कार्यभार बढ़ जाता है। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप विभाग में सभी संबंधित (जो सिस्टम में अनुशंसा/स्वीकृति अधिकारी हो) को निर्देशित कर, उनके अधीनस्थ कार्मिको द्वारा वर्ष 2023 में आवेदित अवकाशों पर 31 दिसम्बर 2023 से पूर्व आवश्यक कार्यवाही (Approve/Reject) करवाना सुनिश्चित करावें।

समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों /संस्थापन शाखा से भी अपेक्षा है कि वे Application corner>> Leave >>Details>> Track leave- My Department प्रक्रिया का उपयोग कर लम्बित अवकाशों की रिर्पोट प्राप्त करे एवम् विभागीय अधिकारियों के राजकाज एप्लीकेशन में लम्बित अवकाश का निस्तारण 30 दिसम्बर से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
तकनीकी निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
2. नोडल अधिकारी, राजकाज पी.एम.यू., ...विभाग।
3. कार्यालय प्रति।

(राजेश भाटिया)
अतिरिक्त निदेशक

आई. टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, दूरभाषः–(0141)2921304ए 2921856 वेबसाइटः- http://www.doitc.rajasthan.gov.in, ई–मेलरू – support.rajkaj@rajasthan.gov.in